तृतीय चरण चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के नियम एवं शर्ते

1. अपनी उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन (Evaluation) से असन्तुष्ट अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन को चुनौती दे सकते है जिसे चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) कहा जायेगा जिसके नियम एवं शर्ते निम्नवत् है।
2. विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 2019 तथा आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं से चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) की निम्न प्रकिया निर्धारित की जाती है।
3. चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) अभ्यर्थी को उक्त लिंक के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन किसी भी दशा में मान्य नही होगा।
4. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर ई–मेल के माध्यम से मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की प्रति प्राप्त की जायेगी। ई–मेल पर मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने के 15 दिवसों के अन्दर ही चुनौती मूल्यांकन हेतु आवेदन किया जायेगा।
5. समस्त उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकित होने तथा उसमे दिये गये अंको एवं उनके योग में त्रुटि न होने के बावजूद अभ्यर्थी परीक्षक द्वारा किये गये मूल्यांकन से असन्तुष्ट है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन को चुनौती देने हेतु "Apply for Challenge Evaluation" लिंक पर Click करें।
6. चुनौती मूल्यांकन हेतु रू0 3000–00 (रू0 तीन हजार मात्र) प्रति उत्तर पुस्तिका शुल्क देय होगा जो ऑनलाइन पेमेन्ट SBI Collect के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
7. चुनौती की गयी सम्बन्धित उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन मूल मूल्यांकनकर्ता से इतर माननीय कुलपति जी द्वारा नामित दो विषय विशेषज्ञों से अलग–अलग कराया जायेगा तथा दोनो मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिये गये अंको का औसत लिया जायेगा।
8. यदि मूल मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किये गये अंको तथा दोनों विषय विशेषज्ञों द्वारा दिये गये अंको के औसत का अन्तर प्रश्न पत्र के पूर्णांक के 15 प्रतिशत तक पाया जायेगा तो मूल मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किये गये अंको मे कोई परिवर्तन नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा की गयी चुनौती को अमान्य करते हुए जमा शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।
9. यदि मूल मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किये गये अंको तथा दोनों चुनौती मूल्यांकनकर्ताओ द्वारा दिये गये अंको के औसत का अन्तर प्रश्नपत्र के पूर्णांक के 15 प्रतिशत से अधिक एवं 25 प्रतिशत तक पाया जायेगा तो मूल मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किये गये अंको को दोनो विषय विशेषज्ञों द्वारा दिये गये अंको के औसत अंक से बदल दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में छात्र द्वारा चुनौती मूल्यांकन हेतु जमा शुल्क में से रू0 500–00 (रू0 पांच सौ मात्र) की कटौती कर शेष राशि उसे वापस कर दी जायेगी।
10. यदि मूल मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किये गये अंको तथा दोनो चुनौती मूल्यांकनकर्ताओ द्वारा दिये गये अंको के औसत का अन्तर प्रश्नपत्र के पूर्णांक के 25 प्रतिशत से अधिक पाया जायेगा तो ऐसी उत्तर पुस्तिका को माननीय कुलपति जी द्वारा नामित तृतीय चुनौती मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकित कराया जा सकता है। मूल मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किये गये अंको को तीनो विषय विशेषज्ञो द्वारा दिये गये अंको के औसत से बदल दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा चुनौती मूल्यांकन हेतु जमा शुल्क से रू0 500–00 की कटौती कर शेष राशि उसे वापस कर दी जायेगी तथा मूल मूल्यांकनकर्ता के खिलाफ विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। यदि किसी मूल्यांकनकर्ता द्वारा एक से अधिक बार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में उक्त के अनुसार त्रुटि की जाती है तो उसे समस्त परीक्षा कार्यो से वंचित किया जा सकता है।
11. चुनौती मूल्यांकन प्रक्रिया में यदि उपर्युक्त बिन्दु 9 एवं 10 में वर्णित परिवर्तन आता है, तो परीक्षार्थी के परीक्षाफल में संशोधन करते हुए सम्पूर्ण परीक्षाफल घोषित कर दिया जायेगा।